



क्रमांक: एफ4 (196)आकाशि/नि.सं./2017/1392

दिनांक- 07-02-2023

**आदेश**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय/विषय
जमना शिक्षा समिति, नीलकण्ठ हाउस, साधाकृष्णपुरा, सीकर।	जमना कॉलेज, जीवनपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शंखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक स्तर पर - कला संकाय- राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य। विज्ञान संकाय- भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र।

1. संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में 40सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा किर्तिमत मानदण्डानुसार अशैक्षणिक रटाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
9. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं प्रवेश-प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [WWW.aishe.nic.in](http://WWW.aishe.nic.in) पर महाविद्यालय का रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड्ड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सीकर।
5. कुल सचिव, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शंखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. शिक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
**Signature valid**

Digitally signed by Sunil Sharma  
Designation: Commissioner  
Date: 2023.02.07 09:46:32 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3098223



शिवरंजन  
सचिव  
जमना शिक्षा समिति  
सीकर (राज.)



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (196)आचार्य/नि.सं./2017/755

दिनांक:- 21-01-2021

### आदेश

राजस्थान में सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1999 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-2022 (दो सत्रों) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय व विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अतिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय व विषय
जयना शिक्षा समिति नीलकण्ठ हाउस, रत्नवृष्णपुरा, सीकर।	जयना कॉलेज, जीवनपुरा, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर।	परिषद दीनदयाल उपाध्याय रोजवाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातक स्तर पर - कला संकाय- राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य।  विज्ञान संकाय- भौतिक शास्त्र, गणित रसायन शास्त्र, जनसंपर्क शास्त्र, ध्वनी शास्त्र।

1. संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार नव वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2022-23 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.ओर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा साहाय्य अनिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समग्र-समय पर यूजीसी / राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संचालित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी0सी0आई0 से सम्बन्धित व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का ऑफ्टन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार ज्योतिषिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांठिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के डेटापोर्टल [www.aishe.nic.in](http://www.aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड्ड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।  
उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, हासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सीकर।
5. जूल सचिव, परिषद दीनदयाल उपाध्याय रोजवाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांठिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. उचित पत्रावली।

सचिव  
जयना शिक्षा समिति  
सीकर (राज.)

सयुक्त-निदेशक (नि0स0)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कार्यांक एफ4 (196)आकाशि/वि.स./16/ 479

दिनांक- 19.7.2017

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आनापत्ति प्रमाण पत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तीन वर्ष के लिए स्नातक स्तर पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विरघविद्यालय	आवर्तित विषय/ शतक
जमना शिक्षा समिति, मीरकण्ड गावस, रामधामपुरा, सीकर।	जमना कॉलेज, जीवनपुरा, ताड, धातरामगढ, सीकर।	गं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विरघविद्यालय, सीकर।	अनिवार्य विषयों सहित- स्नातक स्तर पर- कला संकाय-गृहविज्ञान, चित्रकला, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य भूगोल, कम्प्यूटर, इतिहास, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान। वाणिज्य संकाय- एवीएसटी, ईएफएएम, व्यावसायिक प्रशासन। विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, पत्रकारिताशास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित।

1. प्रमाण पत्र 2020-21 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य हेतु आवेदन करेंगे।
2. आवेदन संबंधित विरघविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेंगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में डी०सी०आई० से मान्यता व विरघविद्यालय से संबंधित पर अनुमोदन प्राप्त करेंगी।
3. संस्था/विघ प्रचार सीटों का आवेदन विरघविद्यालय द्वारा निकला जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जाएगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. प्रवेश को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त परचात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मान्यतानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि स्वामत्तव्य अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय भवन एवं निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों को अनुकूल किया जाएगा।
7. संस्था द्वारा सूचीबद्ध योग्यतावादी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य औपेक्षिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विरघविद्यालय से स्टाफ को अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. मान्यतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा कर रकम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांविधिक मुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी।
12. आकाश को पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन०एस०एस०/एन०सी०सी०/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहसंस्थापक प्रतिनिधि में विघर्षों को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं पता सहित नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. संस्था संरक्षणन दिक्कत मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [aishe.nic.in](http://aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर कर डेटाफॉर्म DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय द्वारा Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मान्य संस्थापन विभाग मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त, 15/7  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

जमना शिक्षा समिति  
सीकर (राज०)

- निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. मित्राण्ड सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
  2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  3. शिक्षा कलेक्टर, सीकर।
  4. मुख्य सचिव, गं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विरघविद्यालय, सीकर।
  5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
  6. सांविधिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  7. संबंधित निकाय।

संयुक्त-निदेशक (मि०स०)  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर